रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एल.)-72 REGISTERED No. D. (D.L.)

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

PART II—Section 3—Sub-section (i)
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 526] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 1986/कार्तिक 21, 1908
No. 526] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOV. 12, 1986/KARTIKA 21, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 1986

अधिसूचना

सं. 459/86-सीमाशुल्क

सा. का.नि. 1199 (अ) :— केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 62/86-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 1985 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, –

(क) "शीर्ष सं. 44.03" शब्दों और अंकों के स्थान पर शब्द और अंक, "44.03 या 44.07" रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची में, क्रम सं. (2) और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :–

"(3) 25.4 मि. मी. (1 इंच) से अधिक मोटाई की लंबाई में चीरी या छिली हुई, लकड़ी, जिसके आगे खांड या तख्ते बनाए गए हों, चाहे वह समतल, सैंकित या फिंगर-ज्वांइटिड हो या नहीं।"

[मि. सं. 346/60/86–टी. आर. यू.]
गौतम रे, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 12th November, 1986

NOTIFICATION

No. 459|86-CUSTOMS

G.S.R. 1199 (E) .—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 62|85-Customs, dated the 17th March, 1985, namely :—

In the said notification,—

(a) for the words and figures "heading No. 44.03", the words and figures "heading Nos. 44.03 or 44.07" shall be substituted ;

(b) in the Schedule, after Sl. No. (2) and the entry relating thereto, the following Sl. No. and entry shall be inserted, namely :—

"(3) Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or finger-jointed, of a thickness exceeding 25.4 mm (1 inch)".

[F. No. 346|60|86-TRU.]
GAUTAM RAY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986